बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः—

संख्या—3(स०) / उ०स्था०(प्रोन्नति)13 / 2017—................................ / श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा, श्री सत्येन्द्र कुमार, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी, श्री दामोदर तिवारी, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय, श्री अशोक कुमार, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना, श्री राम प्रपन्न चौधरी, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय (अतिरिक्त प्रभार, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा), श्री ललन कुमार, कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर, श्री राम किशोर कुमार, स्वैच्छिक सेवानिवृत कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली एवं श्री वरूण कुमार, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अरवल की प्रथम नियुक्ति तकनीकी पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक, साईजिंग जॉबर एवं समकक्ष पद पर हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय में किया गया था।

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक—1575 दिनांक 28—08—09 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग एवं गृह विशेष विभाग, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया था। उक्त वरीयता में नामित इनसे कनीय कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या—17484 / 2008 रजनीकांत रंजन एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में वाद दायर किया गया। इसी बीच निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा निर्गत उक्त वरीयता एवं उनके द्वारा प्रोन्नति के समय किये गये अनुशंसा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये प्रोन्नति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—1294 दिनांक 23—03—11 द्वारा श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा एवं अधिसूचना संख्या—1295 दिनांक 23—03—11 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार तथा विभागीय अधिसूचना संख्या—3699(श्री दामोदर तिवारी), 3700(श्री अशोक कुमार), 3701(श्री राम प्रपन्न चौधरी), 3702(श्री ललन कुमार), 3703(श्री राम किशोर कुमार) एवं 3706(श्री वरूण कुमार) दिनांक 29—07—11 द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक / साईजिंग जॉबर एवं समकक्ष को परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद पर अन्य कर्मियों के साथ प्रोन्नति इस शर्त्त पर दी गयी थी कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या—17484 / 2008 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगी।

प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—2183 दिनांक 25—05—17 द्वारा उक्त पदाधिकारियों की प्रोन्नति कार्यकारी प्रबंधक के पद पर दी गयी थी।

उपरोक्त पदाधिकारियों से कनीय कर्मियों द्वारा निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक—1575 दिनांक 28—8—09 द्वारा निर्गत अंतिम वरीयता को संशोधन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या—17484 / 2008 रजनीकांत रंजन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में वाद दायर किया गया। उक्त वाद में पारित न्याय निर्णय का अनुपालन

कृ०पृ०उ०

नहीं किये जाने पर उक्त वाद से उत्पन्न एम0जे0सी0 संख्या–1089/2016 में दिनांक 24–04–18 को सुनवाई के क्रम में पारित निर्णय के आलोक में निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार के पत्रांक–832 दिनांक 10–05–18 द्वारा अंतिम संशोधित वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया। उक्त वरीयता सूची में उपरोक्त कार्यकारी प्रबंधक वर्त्तमान में कार्यरत तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/साईजिंग जॉबर से कनीय हो गये।

उपरोक्त वर्णित पदाधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एल0पी0ए0 संख्या–1042/2015 में दिनांक 19–03–2018 को पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या–16996/2018 वाद दायर किया गया। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 26–07–2018 को पारित न्याय निर्णय में "The Special Leave Petition is, accordingly, dismissed as withdrawn" का निर्णय लिया गया।

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना के पत्रांक–832 दिनांक 10–05–18 द्वारा निर्गत अंतिम संशोधित वरीयता सूची के आलोक में उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों की अवनति के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा यह परामर्श दिया गया कि वरीयता का संशोधन न्यायादेश के अनुपालन किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित पदाधिकारियों की अवनति हेतु विभाग स्वयं सक्षम है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उपरोक्त वर्णित पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या–1294, 1295 दिनांक 23–03–11 द्वारा परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–2183 दिनांक 25–05–18 द्वारा कार्यकारी प्रबंधक के पद पर दी गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुए इन्हें फीडर कैडर 'घ' के मूल पद तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/साईजिंग जॉबर एवं समकक्ष पद पर अवनत किया जाता है।

अवनति के पश्चात् इनकी सेवा निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
3(स०)/उ०स्था०(प्रोन्नति)13/2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, इ–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, नालन्दा/मधुबनी/अरवल/शेखपुरा/लखीसराय/बेगूसराय/वैशाली/मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा/मधुबनी/अरवल/शेखपुरा/लखीसराय/बेगूसराय/वैशाली/मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा/मधुबनी/अरवल/शेखपुरा/लखीसराय/बेगूसराय/वैशाली/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–   पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय को यह निदेशित किया जाता है कि इन पदावनत कर्मियों का पदस्थापन यथासंभव पटना स्थित किसी कार्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध करते हुए श्री अशोक कुमार की सेवा उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना, श्री ललन कुमार एवं श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा की सेवा बिहार राज्य वित्त निगम, पटना, श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्री वरूण कुमार की सेवा बी0एस0आई0डी0सी0 लि0, पटना को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध करा दें।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 5982   पटना, दिनांकः– 24-12-18

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
24.12.18

राकेश/24–12–18